न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 110/2011–12

कृष्ण मोहन गुप्ता बनाम राज्य

आदेश

18.11.014

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी कृष्ण मोहन गुप्ता द्वारा उनके स्वर्गीय पिता– बदरी साह, साकिन– सत्तरकटैया, थाना– बिहरा के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या– 41/85 के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने संबंधी अपीलार्थी के आवेदन को अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा रद्ध किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हैं।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अपीलार्थी ने अपने स्वर्गीय पिता बद्री साह के स्थान पर अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दूकान हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के समक्ष दिनांक– 8.6.2003 को आवेदन दिया किया था। दाखिल आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं कर दिनांक– 29.03.2004 को अपीलार्थी के चचेरे भाई दिनेश गुप्ता के नाम अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध जिला पदाधिकारी के न्यायालय में अपील वाद 12/2003–04 दाखिल किया गया, जिसे दिनांक– 19.9.2005 को खारीज कर दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा अपील वाद संख्या' 12/2003–04 में दिनांक– 19.9.2005 को वाद खारीज किये जाने संबंधी पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, कोशी प्रमण्डल के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद 76/05 दाखिल किया गया, जिसे आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के आदेश दिनांक– 29.11.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक– 19.9.2005 को निरस्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया गया कि आवेदक का पक्ष सुनकर समीक्षोपरान्त अंतिम निर्णय लें। आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में पुनः आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य पूर्व के अनुरूप पाये जाने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को पुनः अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा पुनः प्रस्तुत अपील वाद दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि आवेदक के पिता स्वर्गीय बद्री साह वर्ष 1985 से दिनांक– 25.3.2003 तक ग्राम पंचायत सत्त के वार्ड नं0–1 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे। बद्री साह के निधन के उपरान्त अनुज्ञप्ति संख्या– 41/85 के स्थान पर अपीलार्थी के नाम दूकान आवंटन हेतु दिनांक– 8.6.2003 को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा के समक्ष आवेदन दाखिल किया गया, जिसके सा

जन प्रतिनिधि एवं प्रखण्ड कार्यालय से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र के साथ अपीलार्थी के माँ की अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया गया था। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सत्तरकटैया द्वारा भी अपीलार्थी के नाम अनुकम्पा के आधार पर अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी, परन्तु अपीलार्थी को उनके आवेदन पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा लिये गये निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी। अन्ततः अपीलार्थी ने दिनांक– 25.2.2004 को सूचना मांगी जिसके जवाब में अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सूचना के माध्यम से आदेश के बारे में प्रशासनिक आदेश की जानकारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं रहने की सूचना अपीलार्थी को दी गयी। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उन्हें उनके आवेदन को खारीज किये जाने की सूचना उन्हें दिये बिना उनके चचेरे भाई दिनेश गुप्ता के नाम दिनांक– 29.3.2004 को अनुज्ञप्ति निर्गत कर दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील वाद संख्या' 12/2003–04 दाखिल किया गया। दाखिल अपील के गुण–दोष पर विचार किये बिना दिनांक– 19.9.2005 को जिलाधिकारी द्वारा अपील खारीज कर दिया गया। जिलाधिकाकरी के पारित आदेश दिनांक– 19.9.2005 के विरूद्ध अपीलार्थी ने आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या– 26/05 दाखिल किया, जिस पर दिनांक– 29.11.2010 को आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा द्वारा जिलाधिकारी के पारित आदेश दिनांक– 19.9.2005 को निरस्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी को मामले में अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर अन्तिम निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पुनः अपना पक्ष रक्षा परन्तु प्रस्तुत साक्ष्यों एवं कागजात का अवालेकन किये बिना अनुमण्डल पदाधिकारी ने यह कहकर कि प्रस्तुत साक्ष्य पूर्व के अनुरूप है आवेदन अस्वीकृत कर दिया। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील वाद दाखिल करते हुए अपीलार्थी ने अपने चचेरे भाई दिनेश गुप्ता के नाम निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्ध कर अपीलार्थी के नाम अनुकम्पा आधारित अनुज्ञप्ति निर्गत करने की याचना की है अपीलार्थी ने यह भी दावा किया है कि वे सत्तर के स्थायी निवासी हैं तथा उनके चचेरे भाई दिनेश गुप्ता से जमीन संबंधी विवाद को लेकर दिवानी वाद भी न्यायालय में चल रहा है तथा मान्नीय उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर दिनेश गुप्ता के नाम नोटिस भी निर्गत हुआ है।

प्रत्युत्तर में प्रतिपक्षी–2 दिनेश गुप्ता का कहना है कि अपील वाद पूर्णतया कालवाधित है चूँकि प्रावधान के तहत आदेश पारित होने के तीस दिनों के अन्दर अपील दायर करने का प्रावधान है। जन वितरण प्रणाली आदेश की धारा– 2.5 का हवाला देते हुए कहना है कि अनुकम्पा आधारित अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु दो वर्ष का समय सीमा निर्धारित है, जबकि प्रस्तुत मामला 11 वर्ष पूर्व में हुई मृत्यु से संबंधित है। अग्रतर यह भी कहा गया है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी की 55 वर्ष आयु से पूर्व मृत्यु होती है

तो उनके आश्रित को अनुकम्पा का लाभ मिलेगा, परन्तु वद्री साह की मृत्यु 65 वर्ष से अधिक उम्र में हुई, इसलिए ये अनुकम्पा की लाभ पाने के योग्य नहीं है। साक्ष्य स्वरूप इन्दिरा गॉधी इन्स्टीच्यूट आफ मेडिकल साईन्स शेखपुरा, पटना–14 का चिकित्सा प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संतलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी सत्तरकटैया के निवासी नहीं हैं जो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है। अपीलार्थी के नाम निर्गत सत्तर के आवासी प्रमाण–पत्र भी जॉचोपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सत्तरकटैया के पत्रांक 715–2 दिनांक– 25.8.2003 द्वारा रद्ध कर दिया गया है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा दर्शित व्यापार स्थल का प्लाट खाता संख्या– 383 खेसरा– 3457 रकवा– 5 कट्टा गलत पाया गया। क्योंकि उक्त प्लाट में अपीलार्थी के हिस्से की जमीन अपीलार्थी के पिता वद्री साह द्वारा अपने भाई उपेन्द्र साह को दान कर दिया गया था, जिसके आधार पर दाखिल खारीज हो गया तथा रेन्ट रसीद भी कट रहा है। अपीलार्थी सत्तरकटैया का वासिन्दा नहीं है। बल्कि मधेपुरा जिलान्तर्गत बराही गॉव का निवासी है, जो कि 1995 के मतदाता सूची सीरियल 405 गृह संख्या–1 में तथा वर्ष 2004 के मतदाता सूची ग्राम बराही भाग–23 गृह संख्या–5 एवं मधेपुरा लजिसलेटिभ क्षेत्र के वर्ष 2009 के मतदाता सूची भाग–82 के क्रमांक–23 गृह संख्या–6 एवं 2010 के मतदाता सूची वार्ड नं0–4 क्रमांक–34 गृह संख्या–7 पर अपीलार्थी कृष्णमोहन गुप्ता का नाम है। साक्ष्य स्वरूप मतदाता सूची की छाया प्रति भी प्रतिपक्षी द्वारा अपने प्रत्युत्तर के साथ संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रतिपक्षी ने यह भी दावा किया है कि प्रतिपक्षी को कन्ज्यूमर सेल्फ सपोर्टेड कॉपरेटिभ सोसाईटी लिमिटेड के अध्यक्ष के नाम अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है न कि अनुकम्पा आधारित। इस तरह अपीलार्थी का दावा पूर्णतया गलत है जो खारीज योग्य है। प्रतिपक्षी ने अपने कथन के समर्थन में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (कन्ट्रोल) आर्डर 2001 की कंडिका– 2.5 की छाया प्रति भी संलग्न की है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिपक्षी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सत्तरकटैया क्षेत्र के निवासी नहीं हैं बल्कि मधेपुरा जिला के बराही ग्राम के निवासी हैं। बिहार सरकार, खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग जी०ए०आर० 01 दिनांक– 20.02.2007 की कंडिका 2.5 में यह उल्लेख किया गया है " अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु पचपन वर्ष की आयु के भीतर होने पर हीं उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्ति अनुमान्य होगी "

Indira Gandhi Institute of Medical Science, Patna द्वारा अपीलार्थी के पिता स्व० बद्री साह के Admission and Discharge Record – 06720 के अवलोकन से पता चलता है कि इनकी

मृत्यु 65 वर्ष में हुई है। अतः उक्त प्रावधान के आलोक में अपीलार्थी को अनुकम्पा के आधार पर अनुमान्य नहीं है। अपील खारीज किया जाता है।

18.11.14
समाहर्त्ता,
सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

18.11.14
समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 2913-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक–27 नवम्बर, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं सहरसा जिला के बेवसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

27/11/14
प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
28.11.14